न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17 / 475

शिवकरण आत्मज स्व0 श्री छोगालाल आयु 56 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम फूलेता तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीयुत जिला कलक्टर महोदय, बून्दी जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार श्रीयुत भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 01.03.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम फूलेता तहसील नैनवा जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 66 रकबा 03 बीघा एवं खसरा नम्बर 817 / 1118 रकबा 09 बीघा स्थित है । वादी को आराजी खसरा नम्बर 200 रकबा 05 बीघा भूमि ग्राम गुरजानिया आवंटित की गई थी । तत्समय पटवारी हल्का द्वारा जिस जगह दखलनामा दिया गया उसी जगह पर वादी काबिज काश्त होकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है । वादी को खसरा नम्बर 200 ग्राम गुरजनिया पटवार मण्डल फूलेता तहसील नैनवा में कब्जा नही देकर उसको जो दखल दिया गया वो भूमि खसरा नम्बर 66 एवं खसरा नम्बर 817 / 1118 ग्राम फूलेता की निकली । वादी उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । वादी को आज तक उक्त भूमि से बेदखल नहीं किया है । वादी उक्त भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि आराजी खसरा नम्बर 66 रकबा 03 बीघा एवं भूमि खसरा नम्बर 817/1118 रकबा 09 बीघा वाके ग्राम फूलेता तहसील नैनवा जिला बून्दी के समबन्ध में वादी कों खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करें और वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2017 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2017 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में बिना सहमति व सूचना के निर्णित कर दिया । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई हेतु आगामी तारीख पेशी दी हुई थी । वादी अपीलान्ट का वाद खातेदारी अधिकारों के सम्बन्ध था जिसका निरस्तारण मेरिट पर दोनों पक्षों की साक्ष्य व दस्तावेजों के आधार पर ही किया जा सकता है । सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन कया कि अपीलान्ट को उनके अभिभाषक के उपस्थित होने पर पत्रावली नियत तारीख पेशी दिनांक 05.07.2017 पर नहीं मिली और न्यायालय में कहा कि अगस्त माह में कैम्प चल रहे हैं, पीठासीन अधिकारी कैम्पों में व्यस्त हैं । अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में जाता रहा परन्तु उसे उक्त निर्णय की जानकारी नहीं मिली । न्यायालय में पुनः पूछताछ करने पर दिनांक 06.09.2017 को जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त पत्रावली में दिनांक 15.05.2015 को ही लोक अदालत में निर्णय पारित किया जा चुका है जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट ने एक दावा बाबत् हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में दावा खारिज किया गया, सीपीसी की पालना नहीं की और लोक अदालत में न तो पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा हुआ था और न ही किसी तरह की कोई सहमति दी गई थी । अधीनस्थ न्यायालय

का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट का दावा मेन्टेनेबल नहीं था । सरकार सिवाय चक आराजी पर हक घोषणा का दावा पेश किया था । यदि आवंटन आदेश था तो उसके आधार पर खातेदारी अधिकार, आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त किये जा सकते हैं । जो आराजी वादग्रस्त बताई जा रही है वो अन्य ग्राम की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का ग्राम फूलेता की आराजी खसरा नम्बर 66 रकबा 03 बीघा एवं खसरा नम्बर 817/1118 रकबा 09 बीघा के बाबत् पेश किया है और यह कथन किया है कि खसरा नम्बर 200 रकबा 05 बीघा भूमि वाके ग्राम गुरजनिया उनको आवंटित हुई थी । परन्तु इसका कब्जा इस आराजी पर नहीं दिया जाकर खसरा नम्बर 66 एवं 817/1118 ग्राम फूलेता पर दिया गया था और वो इसी आराजी पर काबिज है । अतः आराजी का उन्हें खातेदार कृषक घोषित किया जावे । वादी ने अपने अपने वाद में नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 पेश की है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 66 रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा और खसरा नम्बर 817/1118 रकबा 66 बीघा 07 बिस्वा भूमि सरकारी सिवायचक दर्ज है । आवंटन आदेश की प्रति संलग्न है जिके अनुसार ग्राम गुरजनिया की आराजी खसरा नम्बर 200 की रकबा 05 बीघा भूमि अपीलान्ट को आवंटित की गई है । पत्रावली पर कुछ खसरा परिवर्तनशील की नकलें संलग्न हैं जो खसरा नम्बर 817/1118 खसरा नम्बर 814 व खसरा नम्बर 66 ग्राम फूलेता से सम्बन्धित हैं ।

12. वादी के द्वारा हक घोषणा का दावा यह कथन करते हुए पेश किया है कि खसरा नम्बर 200 की रकबा 05 बीघा भूमि अपीलान्ट को आवंटित हुई थी और उनको दखल खसरा नम्बर 66 एवं खसरा नम्बर 817/1118 पर दिया गया । इस कारण उन्हें खसरा नम्बर 66 की रकबा 03 बीघा और खसरा नम्बर 817/1118 रकबा 09 बीघा का खातेदार घोषित किया जावे । इस क्रम में हमारा मत है कि अपीलान्ट ने जो आवंटन आदेश पेश किया है उसके अनुसार ग्राम गुरजनिया की आराजी खसरा नम्बर 200 रकबा 05 बीघा भूमि आवंटित हुई हैं यदि वेआवंटित आराजी पर गैर खातेदारी अथवा खातेदारी अधिकारों के बाबत् कोई सहायता चाहते हैं तो उन्हें आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था और आवंटन अधिकारी आवंटन नियमों एवं शर्तों की अनुपालना में उनके प्रार्थना पत्र पर विधिक कार्यवाही कर सकते हैं । आवंटन की आड में अन्य सरकारी आराजी जो कि 12 बीघा बताई गयी है पर कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा जो पेश किया है वह मेन्टेनेबल नहीं है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्यों के आधार पर जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है वह विधि सम्मत हैं जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2019 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 01.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

1/3/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17/475

शिवकरण आत्मज स्व0 श्री छोगालाल आयु 56 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम फूलेता तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीयुत जिला कलक्टर महोदय, बून्दी जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार श्रीयुत भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

––प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 13/दावा/2017

शिवकरण आत्मज स्व0 श्री छोगालाल आयु 56 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम फूलेता तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

––वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीयुत जिला कलक्टर महोदय, बून्दी जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार श्रीयुत भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 01.03.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री महेश योगी एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री रामबाबू मालव के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2019 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 01.03.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

1/3/19

(भागवंती जेठवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा